12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दलहनों का उत्पादन

*121. **श्री मोतीलाल वोराः** क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष दलहनों का प्रचुर-मात्रा में उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दलहनों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने दलहनों के 'बफर-स्टॉक' की व्यवस्था की है, यदि हां, तो दलहनों की कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य पर खरीद की गई है; और

(घ) दलहनों के मूल्य में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या परिणाम निकला है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) चौथे अग्रिम अनुमान (2016-17), जो पूरे वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं, के अनुसार 2013-14 में 19.25 मिलियन टन के पिछले रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 2016-17 में दलहन का कुल उत्पादन रिकार्ड 22.95 मिलियन टन अनुमानित है।

(ग) सरकार दलहन का 20 लाख टन तक का एक डायनामिक बफर भंडार का रख-रखाव करती है। मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) को 01 अप्रैल, 2016 से उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कर दिया गया है। इस निधि में मूल्यों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने, जमाखोरी और अनैतिक अटकलबाजियों को हतोत्साहित करने के लिए सुविचारित तरीके से उत्पाद जारी करने के लिए दलहन सहित कृषि जिन्सों के रणनीतिक बफर भंडार के रख-रखाव का प्रावधान है। सरकार ने 20.50 लाख टन दलहन की खरीद की है, जिसमें से 16.71 लाख टन की घरेलू खरीद की गई थी और 3.79 लाख टन का आयात किया गया था। 21.12.2017 की स्थिति के अनुसार, 3.45 लाख टन के निपटान के बाद बफर भंडार में 17.05 लाख टन दलहन उपलब्ध है। मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अधीन, आयात के माध्यम से प्रतिपूर्ति के साथ-साथ केंद्रीय बफर के लिए दलहन की खरीद बाजार मूल्य पर या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है, जो भी अधिक हो। दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है। (नीचे **देखिए**)।

(घ) पीएसएफ के अलावा, किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए, सरकार एमएसपी पर केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से दलहन की खरीद के लिए पीएसएस का कार्यान्वयन करती है जिसमें राज्य एजेंसियों की मुख्य भूमिका होती है। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार खरीद जिन्स को मंडी

कर की वसूली से छूट देने और खरीद एजेंसियों को बोरियों सहित लोजिस्टिक व्यवस्थाएं करने, राज्य एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, पीएसएस प्रचालनों के लिए चक्रीय निधि का सृजन करने में सहायता करने पर सहमत होते हैं। पीएसएस के मूल उद्देश्य उच्चतर निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उत्पादकों को उन उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना और कम मध्यस्थता लागत के साथ उचित मूल्य पर आपूर्तियां उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। 2017-18 में, खरीफ विपणन मौसम के लिए दलहन हेतु 8.39 लाख टन की कुल संस्वीकृत मात्रा में से सरकार ने 2166.14 करोड़ रूपए के 3.94 लाख टन (21.12.2017 तक) की प्रगामी खरीद की है जिससे 2,95,605 किसानों को लाभ हुआ है। सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाने जैसे अन्य उपाय भी किए हैं।

इसके परिणामस्वरूप दलहन का उत्पादन 2015-16 में 16.35 मिलियन टन से बढ़कर 2016-17 में 22.95 मिलियन टन हो गया है और दलहन का क्षेत्र 2015-16 में 249.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2016-17 में 294.6 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार के उपायों से दलहन के मूल्य में स्थिरता आई है।

उपाबंध

दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपाबंध

(रूपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खरीफ दलहन					
अरहर (तूर)	4300	4350	4625^	5050^^	5450^
मूंग	4500	4600	4850^	5225^^	5575^
उड़द	4300	4350	4625^	5000^^	5400^
रबी दलहन					
चना	3100	3175	3500**	4000^	4400@
मसूर (लैंटिल)	2950	3075	3400**	3950@	4250*

^ 200 रू./क्विंटल बोनस सहित।
^^ 425 रू./क्विंटल बोनस सहित।
**75 रू./क्विंटल बोनस सहित।
@150 रू./क्विंटल बोनस सहित।
*100 रू./क्विंटल बोनस सहित।

Production of pulses

†*121. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the record production of pulses this year;

(b) if so, the quantum of production thereof;

(c) whether Government has made provision for buffer stock of pulses, if so, the total procurement of pulses made along with rate at which these were procured; and

(d) the steps taken by Government to prevent the prices of pulses from falling and the outcome thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per the Fourth Advance Estimates (2016-17), which is the latest full year estimates available, total production of pulses during 2016-17 is estimated at record 22.95 million tonnes as compared to the previous record production of 19.25 million tonnes in 2013-14.

(c) Government has been maintaining a dynamic buffer stock of upto 20 lakh tonnes of pulses. The Price Stabilization Fund (PSF) has been placed under Department of Consumer Affairs w.e.f. 1st April, 2016. The fund provides for maintaining a strategic buffer of agricultural commodities including pulses for calibrated releases to moderate price volatility, discourages hoarding and unscrupulous speculation. Government has procured 20.50 lakh tonnes of pulses, out of which 16.71 lakh tonnes was procured domestically and 3.79 lakh tonnes was imported. As on 21.12.2017, 17.05 lakh tonnes of pulses was available in the buffer after disposal of 3.45 lakh tonnes. Under the Price Stabilization Fund (PSF), procurement of pulses for central buffer is undertaken at market prices or Minimum Support Prices (MSPs), whichever is higher besides supplementation through imports. Details of MSP of pulses are given in the Annexure (*See* below).

(d) In addition to PSF, to protect the interest of the farmers, Government implements Price Support Scheme (PSS) for procurement of pulses through Central Nodal Agencies at the MSP wherein State Agencies play a major role. This scheme

† Original notice of the question was received in Hindi.

is implemented at the request of the concerned State Governments, which agree to exempt the procured commodities from levy of mandi tax, assist procurement Agencies in logistic arrangements including gunny bags, provide working capital for State Agencies and creation of revolving fund for PSS operations etc. as required under the Scheme guidelines. The basic objectives of PSS are to provide remunerative prices to the growers for their produce with a view to encourage higher investment and production and to safeguard the interest of consumers by making available supplies at reasonable price with low cost of intermediation. In 2017-18, out of a total sanctioned quantity of 8.39 lakh tonnes for pulses for the Kharif marketing season, the progress of procurement is 3.94 lakh tonnes upto 21.12.2017 with an outgo of ₹ 2166.14 crore benefiting 2,95,605 farmers. Government has also taken other measures such as increase of import duties.

The outcome has been an increase in production of pulses from 16.35 million tonnes in 2015-16 to 22.95 million tonnes in 2016-17 and increase in area acreage from 249.1 lakh hectares in 2015-16 to 294.6 lakh hectares in 2016-17. The steps taken by Government have led to stability in prices of pulses.

Annexure

MSP of pulses

(₹ per Quintal)

Commodity	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Kharif pulses					
Arhar (Tur)	4300	4350	4625^	5050^^	5450^
Moong	4500	4600	4850^	5225^^	5575^
Urad	4300	4350	4625^	5000^^	5400^
Rabi pulses					
Gram	3100	3175	3500**	4000^	4400@
Masoor (Lentil)	2950	3075	3400**	3950@	4250*

^ Including Bonus of ₹ 200 per quintal.
^^ Including Bonus of ₹ 425 per quintal.
** Including Bonus of ₹ 75 per quintal.
@ Including Bonus of ₹ 150 per quintal.
* Including Bonus of ₹ 100 per quintal.

श्री मोतीलाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या घरेलू बाजार में दालों की आपूर्ति अधिक होने के कारण कीमतें गिर रही हैं और दालों के निर्यात पर भी रोक हटा दी गई है? मंत्री जी बताएं कि क्या यह सत्य है?

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, निश्चित रूप से दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और पिछले वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दालों के निर्यात पर रोक को हटाने से पहले देश में दालों के बफर स्टॉक की भी व्यवस्था की गई है। इसलिए दालों के निर्यात की जो छूट दी गई है, उसका देश में दालों की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

महोदय, यदि देश में दालों की कीमतें कम होती हैं, तो उसके लिए एक पीएसएस योजना है, जिसके अन्तर्गत सरकार दालों की खरीद करती है। यह बहुत पुरानी योजना है और इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते थे। इसके तहत जब किसी राज्य में समर्थन मूल्य से दाल की कीमत में कमी हो, तो राज्य से प्रस्ताव आता है। पहले हम दालों के कुल उत्पादन के केवल 20 प्रतिशत हिस्से की ही खरीद करने की अनुमति देते थे। यह योजना पुरानी है। हमने इस योजना का वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक बहुत उपयोग नहीं किया, लेकिन वर्ष 2014-15 के बाद राज्यों ने काफी प्रस्ताव भेजे। इस वर्ष भी आए हैं और उन्हें 40 प्रतिशत तक खरीदने की अनुमति दी गई है।

महोदय, मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज, जल्दी बताएं।

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति जी, यह जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, इसके तहत समर्थन मूल्य गिरने के बाद वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक राज्यों से जो प्रस्ताव आए, उनके अनुसार 8,40,000 टन दाल की खरीद सरकार ने की। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18, मतलब कल तक जो खरीदारी हुई, वह ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः राधा मोहन सिंह जी, कृपया संक्षेप में जवाब दें।

श्री राधा मोहन सिंहः उससे दस गुना ज्यादा दालों की खरीद हुई है।

श्री सभापतिः हां, ठीक है।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण फंड का भी उपयोग फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टरी द्वारा किया गया है। जिस राज्य से प्रस्ताव आता है, उसकी हम तुरन्त मंजूरी देते हैं और राज्यों के माध्यम से 40 प्रतिशत तक खरीदारी करते हैं।

श्री मोतीलाल वोराः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की दालों की मांग बहुत कम है और क्या दुनिया के कई देशों में दलहन की खेती से भारत की मांग को पूरा करने के लिए खरीद की जाती है? दलहन की बाकी उपज के लिए आयात पर रोक लगाए बगैर घरेलू बाजार में सुधार नहीं होता। माननीय मंत्री जी, देश में दालों की कीमतें घटती जा रही हैं, क्योंकि दालों का उत्पादन बहुत अधिक है और अगर आप बाजार में देखेंगे, तो दालों की कीमतें घट रही हैं और आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें दालों को खरीदेंगी। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों ने आज तक दलहन की कितनी खरीदी की है और दालों का हमारे पास कितना भंडारण है तथा हम उसे कितना करना चाहते हैं?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, जहाँ तक दुनिया के देशों का सवाल है, म्यांमार और मोजाम्बिक

के साथ हमारा समझौता हुआ, जिस समय दाल की कीमतें बहुत बढ़ी थीं, अपने यहां उत्पादन भी कम होता था। जहां तक राज्यों से खरीदारी का सवाल है, 2017-18 में कल की तारीख तक 5 लाख टन की खरीदारी हुई है। यह जो PSS है, उसके तहत हुई है। मेरे पास राज्यवार सूची भी है कि किस राज्य से कितनी खरीदारी हुई। अभी तक 13 ऐसे राज्य हैं, जिन राज्यों से प्रस्ताव आये और उसकी मंजूरी हमने दी तथा खरीदारी हुई है, उसका विवरण भी मैं माननीय सदस्य को भेज सकता हूँ।

श्री सभापतिः वह माननीय सदस्य को भेज दीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक बहुत ही प्वाइंटेड सवाल पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने...

श्री सभापतिः मंत्री जी से पूछिए।

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ही पूछ रहा हूँ।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया था कि जो विभिन्न अनाज हैं, दलहन हैं या तिलहन हैं, इन सबकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, उस पर एमएसपी तय करते समय, उससे 50 परसेंट ज्यादा एमएसपी तय किया जायेगा। आपने यहां एमएसपी का जिक्र किया है। यह एनेक्सचर में है कि विभिन्न दालों की एमएसपी क्या है। इन दालों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या आपने उसको एसेस किया है और अगर किया है, तो क्या उसका डेढ़ गुना दाम रखा है?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, 15 राज्यों के माध्यम से लागत कॉस्ट के आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो CACP नामक एक आयोग को उपलब्ध कराये जाते हैं और वह प्रतिवर्ष लागत को ध्यान में रखते हुए मूल्य की सिफारिश करता है।

दलहन में जब-जब उसकी सिफारिश हुई है, इन 3-4 सालों के अन्दर आप देखेंगे कि उस सिफारिश को भी हमने बोनस देकर ज्यादा बढ़ाया है। आप देखिए कि 2013-14 में तूर की जो कीमत थी, वह 4,300 रूपये प्रति क्विंटल थी। हमने आज की तारीख में उसको 5,450 रूपये किया है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर ...(**व्यवधान**)... मेरा यह सवाल नहीं था। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः लागत का ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...(*Interruptions*)...

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मेरा सवाल यह था कि ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं फिर बता रहा हूँ कि लागत मूल्य CACP तय करता है और वह समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। ...(**व्यवधान**)... उसने किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः ठीक है। ...(**व्यवधान**)... आपका क्वेश्चन स्ट्रेट है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः हम लोगों ने दलहन के मामले में सिफारिश से भी ज्यादा बोनस देकर एमएसपी निर्धारित किया है। ...(**व्यवधान**)... उसकी सिफारिश से भी ज्यादा किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Dr. Vinay Sahasrabuddhe. ..(*Interruptions*).. No arguments, please. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश)ः सर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... नीरज जी, बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र)ः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि चाहे दलहन का विषय हो, तिलहन का विषय हो या प्याज जैसा बहुत सेंसिटिव विषय हो...

श्री सभापतिः क्वेश्चंस मैक्सिमम होने चाहिए। उस दिशा में चलें, प्लीज़।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः चाहे दलहन, तिलहन या प्याज जैसा सेंसिटिव विषय हो, इसमें जो कृषि उत्पाद आता है, जिसका अंदाजा हमें जुलाई, अगस्त या सितम्बर महीने तक आ जाता है, तो उसके बाद एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अथवा इम्पोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या कोई गाइडलाइंस बनते हैं, इसकी कोई नीति बनती है और क्या इसमें कृषि तथा वाणिज्य विभाग में कोई तालमेल होता है?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, 4 मंत्रालयों के सचिवों की एक कमेटी है। वह कमेटी हर सप्ताह में समीक्षा करती है। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूँगा कि हमने इम्पोर्ट ड्यूटी तूर पर भी बढ़ायी है। बाकी सभी दलहन पर और तिलहन पर भी हमने जो आयात शुल्क है, उसमें भारी बढ़ोतरी की है, 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है। पीले मटर पर 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। एक संस्थागत रूप से—पहले यह नहीं था—इन 4 मंत्रालयों के सचिव अब एक सप्ताह पर बैठते हैं। पहले हम लोग सिफारिश भी करते थे, तो इसमें महीना-डेढ़ महीना लगता था कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी है। यानी यह मैकेनिज्म अब बहुत दुरूस्त हुआ है और एक सप्ताह के अन्दर निर्णय होता है तथा सरकार ने तिलहन और दलहन पर आयात शुल्क बड़ी मात्रा में बढ़ाया है।

SHRI MANISH GUPTA (West Bengal): Sir, the general question that is being talked about in the country is remunerative price for farmers. The hon. Minister has stated in his written reply that the Price Stabilisation Fund for intervention in containing volatility of prices has neither benefited the farmer nor the consumer. I would like to request the Minister to enlighten us whether the Government is thinking of any other mechanism for controlling prices.

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, कीमतों पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार आने के तुरंत बाद 'मूल्य स्थिरीकरण फंड' की स्थापना की गई और प्याज तथा दाल की खरीददारी शुरू

हुई थी। आपको ध्यान में होगा कि कीमतें बहुत बढ़ी थीं, लेकिन हमने सभी राज्यों से उनकी राय लेने के लिए अभी एक पत्र भेजा है। हमने एक नई व्यवस्था दी है कि किसानों को जो समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए यहां भी अनुमति लेनी पड़ती है, पीएसएफ के तहत उनको प्रस्ताव देना पड़ता है, इसलिए हमने सभी राज्यों को इस नई व्यवस्था को अपने यहां लागू करने के लिए एक पत्र जारी किया है कि आप इसके तहत खरीददारी कीजिए और इसके तहत जो भी खर्च होगा, उसकी पूरी राशि भारत सरकार देगी। इसके लिए कई राज्यों से positive response भी आ रहा है। इससे थोड़ा अलग हट कर मध्य प्रदेश और हरियाणा ने एक 'भावांतर योजना' की शुरूआत की है, लेकिन वह अलग है, लेकिन अब मैंने सभी राज्यों को कहा है कि आप इस नई व्यवस्था के तहत खरीददारी कीजिए। राज्यों में सब चीजों की खरीददारी नहीं हो पाती है, दलहन, तिलहन और कपास के लिए पीएसएफ के लिए यहां लिखना पड़ता है, हम उनको मंजूरी देते हैं, इसकी नौबत न आए और धान, गेहूं की खरीददारी फूड और सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से राज्य का ही तंत्र करता है। इस प्रकार से एक नई व्यवस्था के लिए हमने राज्यों से आग्रह किया है ताकि किसान को परेशानी न हो, राज्य को भी परेशानी न हो। इस प्रकार से सब चीजों की खरीददारी हो और जो 22 जीन्स हैं, जिनका समर्थन मूल्य निर्धारित है, वह किसानों को मिल सके।

Corrective actions suggested by railway officers for safety

*122. SHRI RITABRATA BANERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 30 per cent of corrective actions suggested by railway officers regarding the safety of the railways have remained unaddressed in the last eight months;

(b) if so, the Zone-wise details thereof; and

(c) the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. Safety is accorded highest priority by Indian Railways. A detailed inspection regime is followed by Railways wherein officers of Safety department carry out Safety inspections regularly. Shortcomings noticed during inspection are complied in shortest possible time. This is a continuous process and timely implementation of corrective actions suggested by safety officers is monitored at regular intervals.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, the first supplementary question that I want to ask is this. In different answers, both oral and written, in both the Houses at different points in time, the Government has said that there are